

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 37/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-झुंझार पिता चुना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 2-कैलाश पिता चुना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 3-लादु पिता चुना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 4-मनोहर पिता चुना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 5-मांग पुत्री चुना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 6-बरदा पिता किशना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 7-सोहन पिता किशना खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 8-भूरा पिता जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 9-नाराण पिता जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 10-शांतिलाल पिता जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 11-प्यारी पुत्री जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 12-पानी पुत्री जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 13-प्रेमी पुत्री जगरूप खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 14-कमला पत्नि अम्बालाल खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-उदा पिता छोगा खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 2-मोहन पिता छोगा खटीक नि० माहसिहपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.05.2018


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट मोखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम माहसिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1278 रकबा 0.01 हे०, 1279 रकबा 1.23 हे०, 1280 रकबा 0.65 हे० जो खाता संख्या 103 पर दर्ज रेकार्ड है। कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.89 हे० स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूशतकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान

पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत दौ प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 30.04.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। यह बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 09.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 02 उपस्थित है जिन्होने कोई आपति जाहिर नही की है। विपक्षी संख्य 01 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।
अतः


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम माहसिंहपुरा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 1278 रकबा 0.01 हे०, 1279 रकबा 1.23 हे०, 1280 रकबा 0.65 हे० जो खाता संख्या 103 पर दर्ज रेकार्ड है। कुल किता 03 कुल रकबा 1.89 हे० स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 800/- अक्षरे आठ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा